

हुकम या कार्यवाही मय इमिशियल जज

पम्बर व तारीख  
अहकाम जो इत  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

दिनांक

21/4/25

पत्रावली पेडा दुरी) वादी आदी. एवं वादी अनुपस्थित।  
वादी एवं वादी आदिवाला को नियमानुसार तीन  
बार आवाजे लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित  
नहीं आया। समय 5.50 PM ही चुका है। अपापरित  
में वादी एवं वादी आदिवाला को पुनः एक बार  
आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं  
आया। वादी का बाद वादी एवं वादी आदिवाला के  
उपस्थित नहीं आने से प्रथम (दोबरी) महकम पत्रकी  
में कार्यवाही किया जाता है। तबिय से स्वलास  
सुनना आया। पत्रावली फैलल शुमाट होका वादिस  
दालर हो, रिक्ती प्रजा वादी हो नला पत्रावली  
नकरत से कम हो।

  
21/4/25  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा

नम्बर  
अहकाम  
हुकम  
में

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

**न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. श्रवण पिता रूपा जाति खारोल आयु वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा  
वादी

बनाम

1. प्रेमदेवी पत्नी रमेशचन्द उर्फ रामेश्वर लाल जाति खारोल आयु वयस्क निवासी पुर  
तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. चन्दा पुत्री रमेशचन्द उर्फ रामेश्वर लाल जाति खारोल आयु वयस्क निवासी पुर  
तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. सीता पुत्री रमेशचन्द उर्फ रामेश्वर लाल जाति खारोल आयु वयस्क निवासी पुर  
तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. सोनिया पुत्री रमेशचन्द उर्फ रामेश्वर लाल जाति खारोल आयु वयस्क निवासी पुर  
तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. लादूलाल पिता उदय राम जाति खारोल आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला  
भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
7. उपपंजीयक भीलवाड़ा प्रथम व द्वितीय तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण


वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 रा0 टि0 एक्ट

बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 43/2023 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 21.04.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

  
(अरुण कुमार जैन)  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा